

सु.नं. 205/2006

सुशीला / मधुराम

दिनांक

आज्ञा पत्र

27.2.25

पत्रावली पेश। उभयपक्ष को अबैटमेंट आवेदन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10.03.2025 को पेश हो।

श्री प्रवक्ता अतिथि एव  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर (केस इन्चार्ज)

10.3.25

पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1/1 व 1/2 के अधिवक्ता ने आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि अपील में पक्षकार राजकुमार पुत्र श्री माडुराम का देहान्त करीबन 6 माह पूर्व हो गया है तथा पतासी बेवा कुरडाराम, अमरसिंह पुत्र श्री कुरडाराम और राजपाल पुत्र सागर का देहान्त क्रमशः 5 साल के लगभग, चार साल के लगभग, लगभग 2 साल के पूर्व हो गया है। उक्त मृतक अन्य अपीलान्टस के परिवार के ही है जिनकी मृत्यु का इनको पूर्ण ज्ञान रहा है किन्तु अभी तक इनके कायम मुकामान नहीं बनवाये गये है जिससे अपील अबैट हो गई है। अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त उनवानी अपील अबैट हो जाने से खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि प्रतिवादीगण नम्बर 6 से 16 के खेत का कोई मुख्य विवाद तय होना नहीं था। आवेदकगण के पिता मधुराम व प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के मध्य उत्तरी दक्षिणी सीमा का निर्धारण ही दावा में होना था। विचारण न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री में खसरा नम्बर 513 जिसके पुराने नम्बर 602, 603 का नपती कर दुरुस्त सीट का प्रस्ताव 1 माह में अदालत को भिजवाने के लिये तहसीलदार को आदेशित किया था। 13.02.2004 की डिक्री की पालना में तहसीलदार ने दिनांक 01.07.2006 को प्रस्ताव भिजवाया उसमें मधुराम को खेत खसरा नम्बर 513 व प्रतिवादीगण रामावतार और रामजीलाल के खेत खसरा नम्बर 644 की उत्तरी दक्षिण सीमाओं की नपती कर रिपोर्ट भिजवाई जिसके आधार पर विचारण न्यायालय ने अंतिम डिक्री दिनांक 21.09.2006 को पारित की। मधुराम ने अन्य लोगों

श्री प्रवक्ता अतिथि एव  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर (केस इन्चार्ज)

दिनांक

आज्ञा पत्र

को अनावश्यक प्रतिवादी बनाया था। चुंकि दावा में 16 प्रतिवादीगण बनाये गये थे इसलिये अपील में भी सभी को पक्षकार बनाया गया जबकि वास्तव में विवाद मधुराम व अपीलार्थी रामावतार व रामजीलाल के मध्य ही कन्टेस्ट हुआ था। रेस्पोजेन्ट पतासी के वारिसान जुगलाल, अमरसिंह, पूर्व से भरतसिंह रेस्पोजेन्ट व 10-13 तक दर्ज है। मृतक अमरसिंह के सभी भाई पूर्व में रेस्पोजेन्ट नम्बर 3, 10, 11 व अपीलार्थी 7 से 10 राजपाल पुत्र सागर कोई नहीं है। राजकुमार पुत्र माडुराम का देहान्त होने पर उसकी पत्नी मुकेश अपनी नाबालिक पुत्री इशिका को लेकर हांसलसर से अन्यत्र चली गयी उसका अता पता नहीं होने की वजह से राजकुमार के कायम मुकाम नहीं बनाये जा सके। राजकुमार के भाई और माता पूर्व से पक्षकार है। जिन्हें अपीलान्ट 5/1 से मुकेश पत्नी राजकुमार एवं 5/2 ईशिका पुत्री राजकुमार नाबलिग जरिये माता कुदरती मुकेश निवासी हांसलसर फरमाया जावें। रेस्पोजेन्ट नम्बर 1/1 व 1/2 के पिता ने अपने खेत की पुरानी सीट से सीमाज्ञान बाबत दावा प्रस्तुत किया था जिसके अपीलार्थी रामावतार व रामजीलाल के खेत की सीमा लगती थी अन्य किसी का भी उसके खेत की सीमा से कोई संबंध नहीं रहा। अपील के अन्य अपीलार्थीगण अनावश्यक पक्षकार है यहां वादी या प्रतिवादी की मृत्यु पर वाद लाने का अधिकार बचा रहता है उसमें वादी या प्रतिवादी की मृत्यु के बाद उपशमन नहीं होगा जहां कई वादी या प्रतिवादी में से किसी की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार अकेले उत्तरजीवी वादी या वादिया को या अकेले उत्तरजीवी प्रतिवादी या प्रतिवादियों के विरुद्ध बचा रहता है जहां न्यायालय अभिलेखा की प्रविष्टि करवायेगा और वाद उत्तरजीवी वादी का वादियों की प्रेरणा या उत्तरजीवी प्रतिवादी या प्रतिवादियों के विरुद्ध आगे चलेगा वाद का उपशमन नहीं होगा। उक्त प्रावधान आर्डर 22


भू-पञ्च अधिकारी एवं  
व्यक्तिगत अधिकारी  
भारत सरकार, दिल्ली

दिनांक

आज्ञा पत्र

रूल 1 व 11 में अपील में भी लागू होगा केवल वादी एवं प्रतिवादी की जगह अपीलार्थी व प्रत्यर्थी शब्द के अन्तर्गत अपील समझी जायेगी। विचारण न्यायालय की डिक्री के विरुद्ध अपील उपरोक्त कारणों से उपशमन नहीं होती है। विधि अनुसार प्रकरण का निस्तारण तकनीकी आधार पर नहीं कर गुणावगुण पर किया जाना श्रेयस्कर होता है अतः मृतक पक्षकारों के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावें। अबैटमेंट आवेदन निरस्त किया जावें। अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 1995 बोम्बे पेज 102, आरबीजे 1995 (2), आरआरटी 2023(1) पेज 483, आरबीजे 2002(9) माणकचन्द बनाम सरसी, आरबीजे 2022(9) मोहनसिंह बनाम भोंडाराम, आरबीजे 1999(6) मोहनलाल बनाम मूरतीसिंह, आरबीजे 2006(13) शेरसिंह बनाम चन्दगीराम, आरएलडब्ल्यू 2004(3) एससी शाहजादा बनाम हलीमाबी, आरबीजे 2004(11) के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील वर्ष 2006 से लंबित चल रही है। प्रस्तुत अपील में पक्षकार राजकुमार पुत्र श्री माडुराम का देहान्त करीबन 6 माह पूर्व हो गया है तथा पतासी बेवा कुरडाराम, अमरसिंह पुत्र श्री कुरडाराम और राजपाल पुत्र सागर का देहान्त क्रमशः 5 साल के लगभग, चार साल के लगभग, लगभग 2 साल के पूर्व हो गया है। उक्त मृतक अन्य अपीलान्टस के परिवार के ही हैं जिनकी मृत्यु का इनको पूर्ण ज्ञान रहा है किन्तु अभी तक इनके कायम मुकामान नहीं बनवाये गये हैं। निर्धारित समय में अपीलांट द्वारा मृतक पक्षकारों के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही नहीं की गई है। विधि अनुसार अपील अबैट हो चुकी है। अपीलांट अपील के प्रति

  
पू.प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
भारत (वैद्य इन्वन्ट)


205/2006

दिनांक

आज्ञा पत्र

गंभीर नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में अपील अबैट घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत अबैट होने के आधार पर खारिज की जाती है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांत को नये सिरे से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।

  
श्री-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पटेल राजेश्वर अपील अधिकारी  
सीकर (केन्द्रीय प्रबन्धन)